बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 19 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
सोमवार, दिनांक 27.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.35 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसका विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि अभी प्रश्नोत्तर काल है, शून्यकाल में उठाइएगा।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-138, 192, 193, 194, 195, 196 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 200, 201, 202, 205, 206, 207 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 197, 198, 199, 203, 204 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-272, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 उत्तरित हुए। ।
प्रश्न संख्या- 414, 416, 417, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 429, 434, 437, 438 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 412, 413, 415, 418, 419, 420, 423, 428, 430, 431, 432, 433, 435, 436 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 402 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को भी जांच में साथ में भेज दीजिएगा, जिसपर माननीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की।

तारांकित प्रश्न संख्या- 411 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि पत्र निर्गत करवा दीजिए। माननीय मंत्री, आप देखें कि हो जाए, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसपर माननीय मंत्री ने कहा कि आसन के आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

3. आसन को सूचना

माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराया, जिसका माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने भी समर्थन किया। जिसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री करेंगे, कमिटी बनाने की आवश्यकता नहीं है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

शून्यकाल की घोषणा होते ही अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद ने बोलना शुरू किया, जिसका विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। इसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि आपका जो कार्यस्थगन प्रस्ताव आया था, उसको अस्वीकृत कर दिया गया है। लेकिन सरकार उसपर विचार करेगी।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

5. औपचारिक कार्य

श्री सतीश कुमार, अध्यक्ष, वृद्धजन संरक्षण एवं सुरक्षा समिति द्वारा समिति के प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

6. परिनियत कार्य

माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के राज्य का वित्त, राजस्व प्रक्षेत्र, सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

7. वित्तीय कार्य

1. माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट प्राक्कलन के संदर्भ में तृतीय तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय के रुझान की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

2. माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के परिणाम बजट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

3. माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के जेण्डर बजट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

4. माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

इस अवसर पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए विरोधी दल के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में चले आए जबकि माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी बैठे रहे एवं माननीय सदस्य, श्री मंगल पाण्डेय अपने स्थान से बोलते रहे।

8. ध्यानाकर्षण

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि क्रमांक-10 एवं 12 की ध्यानाकर्षण सूचनाओं के उत्तर अगर तैयार हों, तो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। तद्नुसार माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की ध्यानाकर्षण सूचना (अररिया जिला संबंधी) एवं माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संबंधी) की ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर सदन पटल पर रखा गया।

सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में आसन से माननीय सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

9. आसन को सूचना

माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया, जिसका समर्थन स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार से निर्वाचित सभी माननीय सदस्यों ने किया। आसन के द्वारा माननीय सदस्यों को यह सूचित किया गया कि सरकार सूचना ग्रहण करती है और इसको संज्ञान में लेगी। इसपर प्रश्नकाल में एक प्रश्न आया था जो माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार का था। इस पर माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में संशोधन किया है कि बिहार विधान परिषद् के सदस्य वैसे पंचायत समिति के संरचना में सम्मिलित होंगे, जिस प्रखंड के मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होगा। इसमें एक चीज और जोड़ते हैं कि अगर माननीय सदस्य अगर नहीं जाते हैं तो उनके प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे।

माननीय मंत्री ने सुझाव दिया कि इसको स्थगित किया जाए और आपकी ही अध्यक्षता में एक बैठक हो, जिसमें सभी माननीय सदस्यों को बुलाकर इसपर विमर्श कर लिया जाए। इसपर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि चलते सत्र में कुछ माननीय सदस्यों के साथ इस विषय पर हम बैठक कर लेंगे। उस बैठक में विचार किया जाएगा।

ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा द्वारा रोहतास जिले के नासरीगंज थाना कांड संख्या – 32/17 की उच्चस्तरीय जांच कराने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   आसन से कहा गया कि इसमें समय लिया गया है, यह कल आएगा।

2. माननीय सदस्य, श्री दिनेश प्रसाद सिंह द्वारा राज्य के किसानों द्वारा कृषि ऋण लेने के क्रम में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क में व्याप्त अंतर के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अब्दुल जलील मस्तान ने वक्तव्य दिया।

वक्तव्य के दौरान विरोधी दल के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलते हुए सदन वेश्म में चले आए जिसका विरोध करते हुए सत्तापक्ष के भी कतिपय माननीय सदस्यगण सदन में आकर जोर-जोर से बोलने लगे। इस दौरान माननीय सदस्य, श्री मंगल पाण्डेय अपने स्थान से बोलते रहे। सत्तापक्ष एवं विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण आमने-सामने आ गए तथा जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे। सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।

(अंतराल)

10. आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

अंतराल के बाद सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सत्तापक्ष एवं विपक्ष की ओर से अंतराल के पहले हुए आचरण के लिए एक-दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों पर कार्रवाई की मांग की गई। कई वरीय माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। माननीय मंत्री, श्री अवधेश कुमार सिंह

तथा श्री विजय प्रकाश ने आसन से कार्रवाई की मांग की। सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ऐसा कहा जाता है कि Your liberty ends, where my nose begins. आपकी लिबर्टी तभी तक है, जहां तक मेरी नाक शुरू नहीं होती है। उसको पार करना लक्ष्मण रेखा को पार करना है। यह बहुत गंभीर और शर्मनाक मामला है। इस सदन में ईस तरह की घटना घट रही है। इसपर मैं कल 10.30 पूर्वाह्न में सभी दल के नेताओं के साथ बैठक करके और जरूरत होगी तो फुटेज देख करके भी इस पर निर्णय लूंगा।

11. आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ध्यानाकर्षण समाप्त हो गए। अब विभागवार वाद-विवाद होगा।

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर
(नगर विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, आपदा प्रबंधन विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री रणवीर नन्दन
2. श्री मंगल पाण्डेय
3. श्री विनोद नारायण झा

(माननीय सदस्य के भाषण के बीच ही माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

4. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
5. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
6. श्री सुबोध कुमार
7. श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता

13. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह के प्रस्ताव पर कि सरकार का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

1. विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष भाग सदन पटल पर रखा।

(माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच ही विपक्ष के माननीय सदस्यों
ने सदन का बहिष्कार किया।)

2. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, श्री चन्द्रशेखर ने अपना वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष भाग सदन पटल पर रखा।

3. माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग, श्री महेश्वर हजारी ने अपना वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष भाग सदन पटल पर रखा।

आसन का अनुरोध

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने कहा कि माननीय मंत्री, एक चीज की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरों में बहुत ज्यादा संख्या में बैंक की शाखाएं खुल रही हैं लेकिन बिना पार्किंग लिए मकान में बैंक खुल रहे हैं, इससे सड़कों पर लोगों को चलने में बहुत कठिनाई होती है। एक निर्णय सरकार को लेना पड़ेगा क्योंकि वह न तो नगर परिषद्, नगर पालिका या नगर पंचायत से परमिशन नहीं लेता है और एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो अगर बैंक खुले तो कम से कम जहां पार्किंग की सुविधा हो, उस मकान में, वहीं खुले, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी कठिनाई होगी। मेरा यह आग्रह है कि अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो आनेवाले समय में समस्या होगी, चूंकि बहुत तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। जितनी शहरों में सुविधाएं मिलती हैं, इसलिए लोग शहरों की तरफ भागते हैं।

बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का और खास करके शेरो-शायरी के लिए मैं आप तीनों माननीय मंत्रियों का शुक्रिया अदा करता हूं।

14. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री मंगल पाण्डेय
3. प्रो. संजय कुमार सिंह
4. श्री राम लषण राम रमण
5. श्री विनोद नारायण झा
6. श्रीमती मनोरमा देवी
7. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
8. श्री सी.पी. सिन्हा
9. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
10. श्री सोने लाल मेहता
11. श्री राधाचरण साह
12. प्रो. नवल किशोर यादव
13. श्री रामचन्द्र भारती

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

बहुत-बहुत शुक्रिया ! बहुत लोगों की शेरो-शायरी के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक मंगलवार, दिनांक 28.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

27/3/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 434 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 27.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
27-03-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्